



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062026-273437
CG-DL-E-13062026-273437

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2934]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 2934]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

का.आ. 3040(अ).— यतः, मै. रेनेसान्स डिज़ाइनबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य में प्लॉट नंबर 47, कूरगल्ली औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम कूरगल्ली, होबली, इलावला, तालुका मैसूर, जिला मैसूर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.11(अ) दिनांक 4 जनवरी, 2011 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.118 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. रेनेसान्स डिज़ाइनबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.118 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, कर्नाटक सरकार ने उनके पत्र संख्या सीआई 12 एसपीआई 2022 दिनांक 13 नवंबर, 2025 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, ऐसा विमुक्त क्षेत्र राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशा-निर्देशों/मास्टर स्थानों के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.118 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.2/305/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2026

S.O. 3040(E).— Whereas, M/s Renaissance Designbuild Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Plot No. 47, Koorgally Industrial Area, Village Koorgally, Hobli, Ilwala, Talauka Mysore, District Mysore in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 10.118 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 11(E) dated 4th January, 2011;

AND, WHEREAS, M/s Renaissance Designbuild Private Limited has now proposed to de-notify the entire area of 10.118 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No.CI 12 SPI 2022 dated 13th November, 2025. Further, after de-notification, such de-notified area will conform to land use guidelines/master places of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 10.118 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/305/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.